



प्राथमिक अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - हिमोस्मिथ-ब्याण्डिगन (राज.)  
 न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगाढ (राज.)

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 775 दायर दिनांक 03.10.2025 निर्णय दिनांक 03.10.2025

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान.	रिपोर्ट		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
31	शिवीगा	327	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 के आदेशानुसार स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। जो 01 अप्रैल 2017 से लागू हुआ।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया</p>		<p>कपासन की अनुशांषा स्वीकार की जाकर तहसालीदर कपासन की धारा 136 के अख्यमीन अनुसार राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अख्यमीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम... में वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को शुद्ध किया जाकर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	

पटवारी हल्दी, ब्याण्डिगन, जिला  
 सह. कपासन, जिला

04-10-25

राहसीलदार (भू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 न्यायलय, चितौडगाढ